न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 117/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/205)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. पलविन्द्र सिंह पुत्र गुरता सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।	1. मनजीत सिंह पुत्र गुरता सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।
2. गुरविन्द्र कौर पत्नी पलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।	2. जसविन्द्र कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।
	3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 01.07.2024

उपस्थित:1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- दिनांक:02.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 69/69 के मुरब्बा नम्बर 42, 64/19, 64/20 की कुल 6.009 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी संख्या 1 के नाम 2.003 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2 के नाम 1.002 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादी अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण पारिवारिक सदस्य है। वादीगण पारस्परिक सहमति से वाहमी बंटवारा कर रखा है। वाहमी बंटवारानामा में वादीगण को चक 43 जीजी के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 ता 9 सालम-सालम, किला नम्बर 10 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.094 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 ता 15 की 0.114 हैक्टेयर, एंव मुरब्बा नम्बर 64/20 की 0.051 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारानामा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने किलाजात पर लगातार काविज काश्त चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काविज अवश्य है। लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण एवं वादीगण के कब्जा व काश्त की भूमि दूसरे खाता में दर्ज होने के कारण, वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते है तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने आज से करीब 2 रोज पूर्व समस्त प्रतिवादीगण को सम्पर्क कर इस संबंध में पुनः विचार विमर्श किया तो उनके द्वारा पूर्व की तरह इस बार भी स्पष्ट इंकार कर दिया और कहा कि यदि आपको कोई अनुतोष या राहत चाहते हो तो संबंधित न्यायालय में कार्यवाही कर, अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर सकते हो। यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण की असहमति के कारण, माननीय न्यायालय में वाद पत्र संस्थित करने के अतिरिक्त अन्य विकल्प हम वादीगण के पास शेष नहीं रहा। इस कारण वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 69/69 के मुरब्बा नम्बर 42, 64/19, 64/20 की कुल 6.009 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 ता 9 सालम-सालम, किला नम्बर 10 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.094 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 ता 15 की 0.114 हैक्टेयर, एंव मुरब्बा नम्बर 64/20 की 0.051 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से वादीगण के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

के आदेश है। इसलिए प्रकरण मे वाद बिन्दु कायम नही किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 69/69 के मुरब्बा नम्बर 42, 64/19, 64/20 की कुल 6.009 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण पलविन्द्र सिंह(2.003 हैक्टेयर), गुरविन्द्र कौर(1.002 हैक्टेयर) के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 43 जीजी, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 69/69 के मुरब्बा नम्बर 42, 64/19, 64/20 की कुल 6.009 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	पलविन्द्र सिंह पुत्र सुरता सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर (2.003 हैक्टेयर) गुरविन्द्र कौर पत्नी पलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। (1.002 हैक्टेयर)	43 जीजी	42	1	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.43
				2 ता 9	2.024 हैक्टेयर	नहरी	15.20
				10	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.43
				11/1	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.86
				12/1	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.86
				13/1	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.86
				16/1	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.10
				25/1	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.09
				14	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.86
				15	0.120 हैक्टेयर	नहरी	0.90

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलीस सुनाया गया।